

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : - 1137/रा०

दिनांक : - 22-04-13

चूंकि बिहार सरकार, (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - तालगरहा, थाना नं० - 202 प्रगना - विसारा, थाना/अंचल - राजापाकर, जिला - वैशाली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विशेष कार्य बल (S.T.F) के आवासीय निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त ग्राम - तालगरहा के भीतर कमोवेश 156180 10 फुट 12 इंच धुर जो मानक माप से 51.79 इंच के बराबर होता है, भूखण्ड अपेक्षित है, जिनका खेसरा संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

खेसरा अनुसूचि

599 अंश, 600 अंश, 601 अंश, 602 अंश, 603 अंश, 604 अंश, 606 अंश, 607 पूर्ण, 608 पूर्ण, 609 पूर्ण, 610 पूर्ण, 611 पूर्ण, 612 पूर्ण, 613 अंश, 614 अंश, 615 अंश, 637 अंश, 638 पूर्ण, 639 पूर्ण, 640 पूर्ण, 641 पूर्ण, 671 अंश, 672 अंश, 673 पूर्ण, 674 पूर्ण, 675 पूर्ण, 676 अंश, 677 अंश, 704 अंश, 705 अंश, 715 पूर्ण, 716 पूर्ण, 717 पूर्ण, 718 पूर्ण, 719 पूर्ण, 720 पूर्ण, 721 पूर्ण, 722 पूर्ण, 723 पूर्ण, 724 पूर्ण, 725 पूर्ण, 726 पूर्ण, 727 पूर्ण, 728 पूर्ण, 729 अंश, 730 अंश, 731 अंश, 732 अंश, 735 अंश, 736 अंश, 737 अंश, 738 पूर्ण, 739 पूर्ण, 740 पूर्ण, 741 पूर्ण, 742 पूर्ण, 743 पूर्ण, 744 पूर्ण, 745 पूर्ण, 746 पूर्ण, 747 पूर्ण, 748 पूर्ण, 749 पूर्ण, 750 पूर्ण, 751 पूर्ण, 752 पूर्ण, 753 पूर्ण, 754 पूर्ण, 755 पूर्ण, 756 पूर्ण, 757 पूर्ण, 758 पूर्ण, 759 पूर्ण, 760 पूर्ण, 761 पूर्ण, 762 पूर्ण, 763 पूर्ण, 764 पूर्ण, 764/884 पूर्ण, 765 पूर्ण, 766 पूर्ण, 767 पूर्ण, 768 पूर्ण, 769 पूर्ण, 770 पूर्ण, 771 पूर्ण, 772 पूर्ण, 773 पूर्ण, 774 पूर्ण, 775 पूर्ण, 776 पूर्ण, 778 पूर्ण, 779 पूर्ण, 780 पूर्ण, 781 पूर्ण, 782 पूर्ण, 783 पूर्ण, 784 पूर्ण, 785 पूर्ण, 786 पूर्ण, 787 पूर्ण, 788 पूर्ण, 789 पूर्ण, 790 पूर्ण, 791 पूर्ण, 792 पूर्ण, 793 पूर्ण, 794 पूर्ण, 795 पूर्ण, 796 पूर्ण, 797 पूर्ण, 798 पूर्ण, 799 पूर्ण, 800 पूर्ण, 801 पूर्ण, 802 पूर्ण, 803 पूर्ण, 804 पूर्ण, 805 पूर्ण, 806 पूर्ण, 807 पूर्ण, 808 पूर्ण, 809 पूर्ण, 810 पूर्ण, 811 पूर्ण, 812 पूर्ण, 813 पूर्ण, 814 पूर्ण, 815 पूर्ण, 816 पूर्ण, 817 पूर्ण, 818 पूर्ण, 819 पूर्ण, 820 पूर्ण, 821 पूर्ण, 822 पूर्ण, 823 पूर्ण, 824 पूर्ण, 825 पूर्ण, 826 पूर्ण, 827 पूर्ण, 828 पूर्ण, 829 पूर्ण, 830 पूर्ण, 831 पूर्ण, 832 पूर्ण, 834 पूर्ण, 835 पूर्ण, 836 पूर्ण, 837 पूर्ण, 838 पूर्ण, 839 पूर्ण, 840 पूर्ण, 841 पूर्ण, 842 पूर्ण, 843 पूर्ण, 844 पूर्ण, 845 पूर्ण, 846 पूर्ण, 847 पूर्ण, 848 पूर्ण, 849 पूर्ण, 850 पूर्ण, 851 पूर्ण, 852 पूर्ण, 853 पूर्ण, 854 पूर्ण, 855 पूर्ण, 856 पूर्ण, 857 पूर्ण, 858 पूर्ण, 859 पूर्ण, 860 पूर्ण, 861 पूर्ण, 862 पूर्ण, 863 पूर्ण, 864 पूर्ण, 865 पूर्ण, 866 पूर्ण, 867 पूर्ण, 868 पूर्ण, 869 पूर्ण, 870 पूर्ण, 871 पूर्ण, 872 पूर्ण

सीमा अनुसूचि (चौहद्दी)

उत्तर : - 606 अंश, 600 अंश, 601 अंश, 603 अंश, 604 अंश, 602 अंश, 599 अंश, 613 अंश, 614 अंश, 615 अंश, 637 अंश, 641 अंश, 671 अंश, 672 अंश, 677 अंश, 676 अंश, 737 अंश, 736 अंश, 735 अंश, 732 अंश, 731 अंश, 730 अंश, 729 अंश, 704 अंश, 705 अंश

दक्षिण : - एराजी नैनहा

पुरब : - P.W.D सड़क


पश्चिम : - करीमाबाद एवं चकरसुल

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 4 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के प्रारम्भिक अनुसंधान के समय विभाग के पदाधिकारियों और उनके स्टाफ को प्राधिकृत करते हैं कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करे तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा- (2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों को समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17/4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पन्न ने इन परियोजना की तत्परता (Urgency) को देते हुए निश्चय किया गया है कि इन भू-अर्जन की कार्रवाई में भू-अर्जन अधिनियम की धारा -5-ए की कार्रवाई लागू नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहर्ता
वैशाली


६/०


सरकार के ~~उपर~~ सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1137/र^०

दिनांक : २२-०५-१३

- प्रतिलिपि :** निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :** आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :** प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :** जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, हाजीपुर/महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


समाहर्ता
वैशाली


सरकार के ~~उपर~~ सचिव,
बिहार, पटना।